40/2019 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर A3/1

मुन्तकिली प्रकरण सं0 40/2019 (RCMS 2019/00070) अनवानी 1. गुरविन्द्र कौर पुत्री मुखत्यार सिंह पत्नी कश्मीर सिह जाति जटसिख निवासी माउवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर (पंजाब) **बनाम** 1. यशपाल आहुजा, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर 2. हरबन्स कौर पत्नी मुखत्यार सिह जाति जटसिख निवासी भागसर तहसील सादुलशहर हाल निवासी पथराला तहसील संगत जिला बठिण्डा (पंजाब) केयर ऑफ देव सिंह पुत्र चीत सिंह 3. ग्राम पंचायत भागसर जरिए सरपंच ग्राम पंचायत भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर 4. बेअन्त कौर पुत्री मुखत्यार सिंह पत्नी राजा सिंह जाति जटसिख निवासी किंगराजोहड के पास तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा) 5. बिन्दर कौर पुत्री मुखत्यार सिंह पत्नी गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी पथराला तहसील संगत जिला बठिण्डा (पंजाब)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

09.05.2019

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री रिछपाल सिंह उपस्थित है एवं अप्रार्थी संख्या 02 हरबंस कौर आज स्वयं उपस्थित आई। अप्रार्थी संख्या 02 हरबंस कौर की पहचान श्री परमानन्द पुत्र श्री भुगड़ामल ने की है। बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थिया द्वारा अधीनस्थ न्यायलय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर के न्यायालय में लम्बित एक प्रकरण संख्या 04/2017 अनवानी गुरविन्द्र कौर बनाम ग्राम पंचायत भागसर आदि को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने के लिए यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन था कि प्रार्थीया के पिता स्वर्गीय मुखत्यार सिंह के नाम से चक 10 बीजीएस के खाता संख्या 59/55 में 2.193 है. नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी जो स्व. मुखत्यार सिंह की जद्दी जायदाद थी और स्व. मुखत्यार सिंह की दिनांक 23.03.2012 को मृत्यु हो चुकी है। मुखत्यार सिह के कुल 9 विधिक वारिसान जिनमें सात पुत्रियां व एक पुत्र एवं एक पत्नी है। उक्त वारिसान में से पुत्र गुरबक्श सिंह लाऔलाद की दिनांक 25.01.2015 को मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार स्व. मुखत्यार सिह की मृत्यु के बाद इसके आठ विधिक वारिसान शेष बचे जो वर्तमान में जीवित है।

40/2019
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
A3/2

उनका आगे यह कथन था कि अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा सही तथ्यों को छुपाते हुए मृतक मुखत्यार सिंह की चक 10 बी जी एस के खाता संख्या 59/55 में 2.193 है. कृषि भूमि का विरासतन इंतकाल जरिए इंतकाल संख्या 673 दिनांक 05.05.2016 को अपने नाम से दर्ज करवा लिया जिसका ज्ञान प्रार्थीया को होने पर प्रार्थीया द्वारा एक अपील उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के समक्ष पेश की है, जो जेरकार है।

उनका आगे यह भी कथन था कि अप्रार्थी संख्या 2 काफी प्रभावशाली है जिसका अप्रार्थी संख्या पर राजनैतिक दबाव है। उक्त दबाव के चलते अप्रार्थी संख्या 1 उक्त अपील का निर्णय अप्रार्थी संख्या 2 के हक में करने पर उतारू है। और अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा छोटी छोटी तारीख पेशिंया दी जा रही है जबकि अभी तक ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड भी तलब नहीं किया गया है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 उक्त अपील का फैसला करने पर उतारू है। उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन था कि प्रार्थिया द्वारा पेश अपील संख्या 4/2017 में दिनांक 12.05.2017 को अप्रार्थी संख्या 2 जरिए अधिवक्ता हाजिर आय। अप्रार्थी संख्या 2 को इस बात का पूर्ण ज्ञान था कि इंतकाल संख्या 673 दिनांक 05.05.2016 के विरूद्ध अपीलार्थिया द्वारा अपील पेश की जा चुकी है इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा दिनांक 31.01.2019 को जरिए बैयनामा 5 बीघा कृषि भूमि का बेचान संदीप कुमार व श्रीमती मीरां देवी को किया जा चुका है। इसकी सूचना भी प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को दी जा चुकी है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थीया के विरूद्ध अपील का निर्णय पारित करने पर उतारू है, जिससे प्रार्थिया को उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है, अतः प्रकरण को अन्यत्र किसी सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जावे।

40/2019 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर A3/3

इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 02 ने दिनांक 08.05.2019 को एक प्रार्थना पत्र एवं अन्य दस्तावेज पेश किये और **अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थना की है कि प्रार्थिया ने जिस प्रकरण संख्या 04/2017 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर के न्यायालय से अन्यत्र मुंतकिल करने की प्रार्थना है, अगर उक्त प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय से किसी भी सक्षम न्यायालय में मुंतकिल कर दिया जावे तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।**

मैने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को पर मनन किया और प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 एल.आर.एक्ट एवं अन्य प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर में विचाराधीन प्रकरण संख्या 04/2017 उनवान गुरविन्द्र कौर बनाम ग्राम पंचायत, भागसर आदि को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर से निष्पक्ष न्याय न मिलने की सम्भावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर ने भी प्रार्थी द्वारा लगाये गए आरोपों का खण्डन करते हुए अपनी टिप्पणी में प्रार्थना की है कि अगर उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल कर दिया जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

चूंकि अप्रार्थी संख्या 02 श्रीमती हरबंस कौर ने भी अपने **प्रार्थना पत्र दिनांक 08.05.2019 में यह प्रार्थना की है कि** चक 10 बीजीएस की विवादग्रस्त सम्पत्ति प्रार्थियां के पति द्वारा जरिये बैयनामा 15.07.1965 चिमनदास वल्द केसूराम सिंधी निवासी जोधपुर से 2/3 हिस्सा क्रय की थी। जिसका इंतकाल उसके पति मुख्त्यार सिंह के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है और उसने अपने जीवन काल में अपने पुत्र गुरबख्श सिंह के नाम से क्रयशुदा 2/3 हिस्सा की कृषि भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 04.03.2008 कर दी। मुख्त्यार सिंह की मृत्यु दिनांक 29.03.2012 को हो गई और मुख्त्यार सिंह की मृत्यु उपरांत गुरबख्श सिंह पुत्र जो

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

40/2019

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

AB/9

की अविवाहीत था, उक्त वसीयत द्वारा उक्त कृषि भूमि का अकेला हकदार हो गया और पुत्र गुरबख्श सिंह की मृत्यु 25.01.2015 को हो गई। चूंकि गुरबख्श सिंह अविवाहित था और उसकी मृत्यु के पश्चात हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीया संख्या 02 प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी होने के कारण गुरबख्श सिंह की कृषि भूमि की पूर्ण मालिक हो गई। इसलिए उक्त कृषि भूमि को उसे अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार था जिसका इंतकाल संख्या 673 दिनांक 05.05.2016 को उसके नाम दर्ज हो गया और उसने अपनी उक्त भूमि में से 0.169 है. भूमि पूर्व में परमानन्द भागसर को बेचान कर दी थी एवं पुनः एक बीघा भूमि मीरा देवी व 4 बीघा संदीप कुमार को दिनांक 31.01.2019 को विक्रय कर दी और प्रार्थीया गुरविन्द्र कौर द्वारा एक झूठा मुकद्दमा 420 आईपीसी का दर्ज करवाया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा एफ.आर. लगा दी गई है। **इस प्रकार गुरविन्द्र कौर गलत बियानी कर रही है। फिर भी अगर श्रीमानजी उचित समझे तो उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 04/2017** गुरविन्द्र कौर बनाम ग्राम पंचायत, भागसर आदि **को अन्यत्र समक्ष न्यायालय में मुंतकिल कर दिया जाये तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।**

चूंकि प्रार्थीया उक्त प्रकरण संख्या 04/2017 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर से अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करवाना चाहती है **और अप्रार्थी संख्या 02 हरबंस कौर को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने पर कोई आपत्ति नहीं है** इसलिए उक्त प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय से अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जाना उचित होगा।

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

40/2019 A3/5

अतः उक्त विवेचन के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के प्रकरण संख्या 04/2017 अनवान गुरविन्द्र कौर बनाम ग्राम पंचायत भागसर आदि को उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है। जो विधिवत् रूप से दोनों पक्षों को सुनकर नियमानुसार निस्तारण करेगें और उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को आदेश दिया जाता है कि उक्त मूल प्रकरण संख्या 04/2017 सुनवाई एवं निस्तारण हेतु एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को शीघ्र आवश्यक रूप से भिजवायें। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर